भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 474

06 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

देश में पुनर्चक्रित इस्पात का उपयोग

474. श्री संदोष कुमार पी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपयोग किए जाने वाले पुनर्चक्रित इस्पात की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) वे उद्योग और क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें पुनर्चक्रित इस्पात का मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है;

(ग) देश में पुनर्चक्रित इस्पात का उत्पादन करने वाली कंपनियों की सूची क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पुनः उपयोग के लिए इस्पात की स्क्रैपिंग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों को दूर करने के लिए कोई उपाय शुरू किया है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): वर्तमान में देश में पुनर्चक्रित इस्पात की कुल मात्रा लगभग 30 मिलियन टन (एमटी) है।

(ख): पुनर्चक्रित इस्पात का मुख्य रूप से निर्माण, ऑटोमोबाइल और अवसंरचना क्षेत्रों में उपयोग होता है।

(ग): भारत में पुनर्चक्रित इस्पात का उत्पादन करने वाली कंपनियों की सूची का रख-रखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। हालांकि, अधिकांश इस्पात उत्पादक इस्पात के उत्पादन के लिए इस्पात स्क्रैप का उपयोग इनपुट के रूप में कर रहे हैं।

(घ): इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 में फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से पुनर्चक्रण के लिए स्क्रैप पुनर्चक्रण केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इन केन्द्रों को पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का समाधान करने के लिए समय-समय पर सरकार [पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)], केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) अथवा किसी अन्य सांविधिक निकाय द्वारा जारी पर्यावरणीय संविधियों अथवा किन्हीं अन्य संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

भारत सरकार ने पर्यावरण तथा मानवीय स्वास्थ्य पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से जोखिम तथा अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित भंडारण तथा शोधन एवं निपटान को सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) (एचओडब्ल्यूएम) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।

*****